



2026:AHC:65881

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या-- 4373 वर्ष 2026

विशाल कुमार चौबे और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गोपाल जी राय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 33

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य प्रतिपक्षी संख्या-1 से 3 के स्थायी अधिवक्ता को सुना, और बोर्ड पर अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस मामले को अंततः प्रवेश चरण में ही तय करने के लिए आगे बढ़ता है, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता की सहमति से, उनके संबंधित हलफनामे को बुलाए बिना।
3. याचिकाकर्ता दिनांक 21.01.2025 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके तहत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद पर वेतन के भुगतान के उनके दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के दावे पर इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में ठीक से विचार नहीं किया गया है, जो रिट संख्या-9990 वर्ष 2021 (विशाल कुमार चौबे और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) में पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 के तहत किया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 21.01.2025 का आदेश पारित करने से पहले प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नोटिस जारी करने के संबंध में लौटाए गए निष्कर्ष विकृत हैं, क्योंकि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ताओं को न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और न ही दिया गया था। प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं के मामले में कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं की गई है।

4. स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि कई तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन के भुगतान की वास्तविकता के संबंध में इसी तरह के मामले को संबंधित प्राधिकारी को भेज दिया गया है, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट याचिकाओं के बैच में दिनांक 08.01.2026 के आदेश के माध्यम से रिट-ए संख्या-798 वर्ष 2024 (इंदरीश अख्तर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य)। प्रासंगिक प्रस्तर-13 से 18 यहां नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

"13. उपरोक्त परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों की नियुक्ति की जांच के संबंध में है और यह अधिक महत्वपूर्ण है जब भुगतान राज्य के राजकोष के माध्यम से किया जाता है, इसलिए, रिट याचिकाओं के वर्तमान समूह में शामिल मुद्दे पर अधिक स्पष्टता बनाने के लिए, समिति का पुनर्गठन किया जाए, जो याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी करेगी, यदि परिस्थितियां आवश्यक हैं और उनके लिखित या मौखिक उत्तर पर विचार करने के बाद, समिति याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों की नियुक्ति की प्रकृति के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संबंधित कॉलेज के प्रबंधन समिति और सिद्धांत को भी नोटिस जारी किया जाएगा, जो याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों की नियुक्ति के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कानूनी दायित्व के अधीन होगा।

14. जहां तक वेतन के भुगतान का संबंध है, इस न्यायालय ने पहले ही अंतरिम आदेश पारित कर दिया है और यदि अभी भी इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसका भुगतान किया जाएगा, जो जांच के परिणाम के अधीन होगा, इस स्पष्ट समझ के साथ कि यदि कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है, तो किसी भी कानूनी बाधा के अधीन एक आदेश या वसूली पारित की जा सकती है।

15. समिति का पुनर्गठन इस प्रकार होगा:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(ii) वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(iii) संबंधित जिलों के स्कूलों के जिला निरीक्षकगण।

16. यदि दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता है, तो समिति सी.बी.सी.आई.डी. के महानिरीक्षक की सहायता लेगी।

17. समिति के पुनर्गठन के संबंध में आदेश पक्षकारों के अधिवक्ता के समझौते से पारित किया गया है, इसलिए वे भविष्य में कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे।

18. समिति आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित कर्मचारियों को नोटिस जारी करेगी। याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित कर्मचारी भी दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करेंगे और बाद में चार सप्ताह की अवधि के भीतर समिति द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित प्राधिकारी द्वारा परिणामी आदेश पारित किया जाएगा।

5. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन पर, यह पता चलता है कि स्कूल के जिला निरीक्षक ने केवल एक टिप्पणी की है कि उनके द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, प्रस्तुत याचिकाकर्ता के साथ-साथ श्री गांधी इंटर कॉलेज, बलिया (प्रतिपक्षी संख्या-4) के प्रधानाचार्य प्रासंगिक समय पर उपस्थित नहीं थे, और उनकी अनुपस्थिति में मामले का फैसला किया गया था। नोटिस जारी करने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं मिला है कि यह कब जारी किया गया था या क्या यह प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं को दिया गया था। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 21.01.2025 को आक्षेपित आदेश प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं को सुनवाई के अवसर के बिना पारित कर दिया गया था।

6. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रस्तुत रिट याचिका सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है। दिनांक 21.01.2025 को आक्षेपित आदेश एतद्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक



08.01.2026 के आदेश के अनुसार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को संबंधित समिति को भेज दिया जाता है।

मार्च 30, 2026

वीआर

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।